न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :–18/2014

निर्णय दिनांक :–01.02.19

उनवान

1. लक्ष्मीप्रसाद पुत्र छीतर जाति ब्राह्मण निवासी चैनपुरा तहसील निवाई जिला टोंक
2. रामेश्वर पुत्र छीतर जाति ब्राह्मण निवासी चैनपुरा तहसील निवाई जिला टोंक
3. सीताराम पुत्र छीतर जाति ब्राह्मण निवासी चैनपुरा तहसील निवाई जिला टोंक
4. राजाराम पुत्र छीतर जाति ब्राह्मण निवासी चैनपुरा तहसील निवाई जिला टोंक
5. औंकार पुत्र काना जाति ब्राह्मण निवासी चैनपुरा तहसील निवाई जिला टोंक

– प्रार्थी/आवेदक

बनाम

तहसीलदार निवाई

–अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 251(2) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट
बाबत् प्रदान किये जाने रास्ता

उपस्थितः– श्री एन.एल. शर्मा राधेश्याम शर्मा वकील प्रार्थी
श्री अबरार अहमद वकील प्रतिपक्षी रामनिवास

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि ख.नं. 31 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम चैनपुरा तहसील निवाई में स्थित है। उपरोक्त भूमि पर आने जाने हेतु मौके पर कोई रास्ता स्थित नही है वह पूर्व में ख.नं. 112/1/3 एवं ख.नं. 30/1/1 जो कि राजकीय सिवायचक भूमि है में से होकर ही आते जाते रहे है किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की भूमि पर जाने का कोई रास्ता अंकित नही होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त सिवायचक भूमि में से 30 फीट चौडा रास्ता उपलब्ध करवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का इन्द्राज करवाया जाना नितान्त आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को उसकी खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि ख.नं. 31 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम चैनपुरा में कृषि प्रयोजनार्थ आने जाने हेतु राजकीय सिवायचक भूमि ख.नं. 112/1/3 एवं ख.नं. 30/1/1 में से 30 फीट चौडा रास्ता प्रदान किया जाकर मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का इन्द्राज करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

31
उपखण्ड अधिकारी
निवाई

Scanned by CamScanner

उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी रामनिवास की ओर से श्री अबरार अहमद एड. ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी मय वकालतनामा पेश किया। निवेदन किया कि ख.नं. 112/1/3 के संबंध में राजस्व अपील अधिकारी टोंक के द्वारा 2002 में प्रार्थी के हक में नियमन करने हेतु पत्रावली तहसीलदार निवाई को रिमाण्ड की जा चुकी है। उक्त भूमि प्रार्थी के उपयोग उपभोग में ली जा रही है। उक्त दोनो ख.नं. के संबंध मे अन्य मुकदमा बउनवानी ओंकार बनाम रामनिवास जेरकार है। तथा पूर्व में भी 251 ए के तहत मान्य न्यायालय हाजा में उक्त आवेदनकर्ताओं ने एक आवेदन बउनवानी रामेश्वर बनाम रामनिवास इत्यादि के नाम से पेश कर दिया था। मान्य न्यायालय हाजा के आदेश के विरूद्ध आवेदनकर्ताओं ने उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व अपीलाधिकारी टोंक के यहां अपील प्रस्तुत कर रखी है। अब प्रार्थी मात्र हमें परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहे हैं। जिसमें हमें पक्षकार बनाया जाना न्यायहित में विधिसंगत व आवश्यक है। अतः निवेदन है कि उक्त आवेदन में प्रार्थी को प्रतिपक्षी सं. 2 के रूप में पक्षकार बनाया जाने का आदेश पारित करें। वकील प्रार्थी की ओर जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया कि वर्णित भूमि राजकीय सिवायचक भूमि है जो कि राजस्व रिकॉर्ड से साबित एवं प्रमाणित है। जिसमें प्रार्थी रामनिवास का हक निहित होना बताया जाकर उसे पक्षकार बनाया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थी रामनिवास का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षों की प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पर बहस सुनी गयी। उभयपक्षों की बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन मनन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट है कि पूर्व में भी 251 ए के तहत मान्य न्यायालय हाजा में उक्त आवेदनकर्ताओं ने एक आवेदन बउनवानी रामेश्वर बनाम रामनिवास इत्यादि के नाम से पेश कर दिया था। मान्य न्यायालय हाजा के आदेश के विरूद्ध आवेदनकर्ताओं ने उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व अपीलाधिकारी टोंक के यहां अपील प्रस्तुत कर रखी है। जिसकी प्रति संलग्न पत्रावली है। जिससे स्पष्ट है कि वर्णित ख.नं. में से रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र की अपील मान्य न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक में जेरकार है। इस कारण यह न्यायालय इस प्रार्थना–पत्र में सुनवाई किया जाना उचित नहीं समझता है। अतः प्रार्थी का मूल आवेदन/प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 251(2) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बाबत् प्रदान किये जाने रास्ता इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 01.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

01/2/19

हरित[illegible] कुमार आदित्य
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी निवाई

Scanned by CamScanner